न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारीः- मांगीलाल (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्याः- 239/2022
राजस्व वादः- अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

1. अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी धोलिया तहसील बाप

वादी..........

बनाम

1. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर (राज.)

प्रतिवादी.....

उपस्थितः-

1. श्री रविन्द्रसिंह अधिवक्ता वादी की और से

निर्णय

दिनांकः- 30.01.2024

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि वादी की खरीदशुदा खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 282/9 रकबा 5.5361 हैक्टेयर बीघा सरहद मौजा दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। जमाबंदी सम्वत 2075-2078 संलग्न वाद पेश है। वादी के नाम से वादी की उम्र 8 वर्ष बाल्यवस्था में वादी के पिता ने उक्त भमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के खरीद की थी। वादी के बचपन एवं घर परिवार में बोलते नाम उमाशंकर पुत्र भंवरलाल विक्रय पत्र में टंकित करवा दिया। उक्त वादग्रस्त भूमि के खरीद के वक्त उप पंजीयक कार्यालय में क्रेता के उपस्थित होने की अनिवार्यता नहीं थी एवं न ही फोटो व हस्ताक्षर की अनिवार्यता थी इस वजह से उक्त विक्रय पत्र में वादी का लाड एंव प्यार का नाम उमाशंकर पुत्र भंवरलाल टंकित करवा दिया गया और उक्त खरीद अनुसार वादी के पक्ष में नामान्तरण भी स्वीकृत हो गया जो वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है। लेकिन वादी का सही एवं वास्तविक नाम अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल है इसी नाम से वादी के राशन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज आदि बने हुवे है और घर परिवार व गांव में भी वादी को वर्तमान में अशोक कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाता है। लेकिन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादी का पूर्वानुसार नाम उमाशंकर पुत्र भंवरलाल ही दर्ज है। वादी को अपनी खातेदारी की उक्त भूमि पर विकास

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 16:23:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

कार्य एवं कृषि साख्रा इत्यादि बनाने में वादी का नाम जमाबंदी में उमाशंकर पुत्र भंवरलाल दर्ज होने से भंयकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादी ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 282/9 रकबा 5.5361 हैक्टेयर भूमि में दर्ज वादी के बचपन एवं बोलते नाम उमाशंकर पुत्र भंवरलाल के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल के नाम खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम उमा शंकर पुत्र भंवरलाल दर्ज होने से वादी को के.सी.सी आदि बनाने में भंयकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वादी ने दिनांक 25.11.2022 को अपना नाम सही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी ने वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिये वादी ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 282/9 रकबा 5.5361 हैक्टेयर भूमि में दर्ज वादी के बचपन एवं बोलते नाम उमाशंकर पुत्र भंवरलाल के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल के नाम खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है। जिसका यह दावा पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 282/9 रकबा 5.5361 हैक्टेयर भूमि में उमाशंकर पुत्र भंवरलाल दर्ज है जबकि पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार वादी के पहचान संबंधित दस्तावेजात अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल के नाम से बने हुवे है। इसलिये वादी का नाम उमाशंकर के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल साक्ष्य सुनवाई की जाकर गुणावगुण पर नाम दर्ज किया जाता है तो कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी अशोक कुमार ने साक्ष्य का शपथ पत्र [illegible] उब्लू-1 कलमबद्ध किये किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली [illegible] अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया [illegible] जमाबंदी सम्वत 2075-2078 ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 16:23:09 IST
Reason: SelfAttested

282/9 रकबा 5.5361 हैक्टेयर स्थित है। वादी का नाम राजस्व अभिलेख में उमाशंकर पुत्र भंवरलाल दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों आधार कार्ड, पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग, मूल निवास प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत धोलिया, पंचायत समिति बाप द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि से साबित है कि वादी का नाम अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल है। वादी ने अपने वाद को को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किये है। अतः वादी का राजस्व अभिलेख मे दर्ज नाम उमाशंकर पुत्र भंवरलाल के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल दर्ज किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नंबर 282/9 रकबा 5.5361 भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम उमाशंकर पुत्र भंवरलाल के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 16:23:09 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास श्री मांगीलाल (आर.ए.एस.)

1. अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी धोलिया तहसील बाप

वादी..........

बनाम

1. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर (राज.)

प्रतिवादी.....

दावा बाबत् धारा 88 आर.टी.एक्ट   मुकदमा संख्या :- 239/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे

व हाजिर रविन्द्रसिंह मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नंबर 282/9 रकबा 5.5361 भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम उमाशंकर पुत्र भंवरलाल के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। नीचे

मुतालिक   बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह   फीस सदी सालाना आज की

तारीख

वसूल याबी तक   को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.01.2024 को जारी की गई।

(मांगीलाल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मोहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 16:23:09 IST
Reason: SelfAttested